

22/5/22

संक्षेप अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई जॉय नहीं
आया। अतः वादपत्र / प्रा० पत्र जमाने के बाद एच
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

१६